कुमार अरविन्द सिंह देव
आई0ए0एस0
प्रमुख सचिव

अर्धशा0पत्रसं0: एड्स सोसा/GIPA/Coordination/
अर्द्धशा0पत्रसं0: 98280 – 98286 / पी0एस0एम0ई0 / 2010
दूरभाष : (0522) 2616648 (कार्यालय)
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
कक्ष सं0 306-309 तृतीय तल विकास
भवन, सचिवालय, लखनऊ

दिनांक: 22 मार्च, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविज्ञ हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की आपूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालन में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है। उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रदेश के समस्त एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों का मेडिकल कॉलेजों एवं जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की श्रृंखला में Baseline Test (प्रारम्भिक जाँच) कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, जिसके उपरान्त ही एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की श्रेणी तय की जाती है कि उसे किस प्रकार का उपचार प्रदत्त किया जाना है।

उपर्युक्त के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि एच.आई.वी./एडस से संक्रमित व्यक्तियों की आर्थिक दशा इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि उपरोक्त उपचार हेतु व्यय की जाने वाली समस्त राशि का वहन वह स्वयं कर सकें। अतः ऐसे में उनके उपचार में होने वाली असुविधा/बाधा उनके शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है एवं यदा-कदा समुचित उपचार प्राप्त न कर पाने की अवस्था में उनका देहान्त भी हो जाता है।

इसी क्रम में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित शासनादेश संख्या-1094/71-1-200-जी-13/2000, दिनांक 12 जुलाई, 2000 (छाया प्रति संलग्न) के बिन्दु-2 में व्यवस्था है कि "**विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ एवं शिशु कल्याण राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण कैंसर नियन्त्रण/एड्स नियन्त्रण/मलेरिया एवं फाइलेरिया नियन्त्रण तथा घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा भेजे जाएंगे उनसे संक्रमित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा**" किन्तु इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों द्वारा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की प्रारम्भिक जाँच (Base Line Test) हेतु धनराशि ली जा रही है।

आपके संज्ञान हेतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ए.आर.टी. केन्द्र वाराणसी जनपद में आई.एम.एस. बी.एच.यू.; गोरखपुर जनपद में बी.आर.डी.मेडिकल कॉलेज एवं मेरठ जनपद में एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को Free Base Line

Test की सुविधा प्रदान की जा रही है किन्तु शेष जनपदों **कानपुर** (जी.एस.वी.एम.मेडिकल कॉलेज), **लखनऊ** (छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय), **इलाहाबाद** (एम.एल.एन.मेडिकल कॉलेज), **आगरा** (एस.एन.मेडिकल कॉलेज), **झाँसी** (एम.एल.बी.मेडिकल कॉलेज), **अलीगढ़** (जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज) और **इटावा** (उ.प्र.ग्रामीण आर्युविज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई) के मेडिकल कॉलेजों में Free Base Line Test की सुविधा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की जाँच/उपचार हेतु उपलब्ध नहीं है।

आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त पूर्व प्रेषित शासनादेश का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को जाँच/उपचार हेतु निःशुल्क Free Base Line Test की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

22-3-10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

संलग्न सूची के अनुसार

संख्या-1094/71-1-2000-जी-13/2000

प्रेषक,

के० चन्द्रमौलि,
सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1   लखनऊ: दिनांक- 12 जुलाई, 2000

विषय:- राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों, उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सीय सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा सेवा शुल्क में संशोधन।

- - -

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थित राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों और उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों व संस्थानों में प्रदेश की जनता को बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने और उनके वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में रोगियों की चिकित्सा सुविधाओं/परीक्षणों/आपरेशन व अन्य विभिन्न मदों के लिये पूर्व से चिकित्सा स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये समस्त शासनादेशों को निरस्त करते हुए चिकित्सा सेवाओं/सुविधाओं की दरों में संशोधन के निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं :-

(1) विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ एवं शिशु कल्याण राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय / अन्धता निवारण / मलेरिया नियंत्रण / एड्स नियंत्रण / मोतियाबिन्द / फाइलेरिया नियंत्रण तथा कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा दिये जायेंगे उसमें संदर्भित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा / सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) पूर्व की भांति भिखारियों, अन्डर ट्रायल तथा इमरजेन्सी में लाये जाने वाले रोगियों से पंजीकरण शुल्क अथवा अन्य प्रकार का सेवा/ सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

क्रमशः...2/-

13। आकस्मिक विभाग में भर्ती रोगियों से 24 घंटे के लिए किसी भी प्रकार का सेवा / सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके उपरान्त जो निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं का शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

14। मेडिकल कालेजों अथवा सम्बद्ध चिकित्सालयों में किसी भी रोगी के उपचार को इस आधार पर मना नहीं किया जायेगा, वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, ऐसे रोगियों के संबंध में प्रधानाचार्य अथवा संबंधित चिकित्सालय के अस्पताल अधीक्षक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जायेगा।

15। इमरजेन्सी तथा जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों से पूर्व की भाँति कोई आहार शुल्क नहीं लिया जायेगा।

16। उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके आश्रित को पूर्ववत निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को जो चिकित्सा सुविधायें अनुमन्य थीं वही चिकित्सा सुविधायें सेवानिवृत्ति के उपरान्त उपलब्ध कराई जायेंगी। जो राजकीय कर्मी काफी पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके संबंध में पुराने वेतनमान के सापेक्ष पुनरीक्षित वेतनमान की गणना की जायेगी। सरकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से चिकित्सीय परीक्षण तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवा/सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त किये जायेंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति उनके द्वारा संबंधित विभाग से कराई जा सकती है।

17। राजकीय कर्मियों को जनरल/प्राइवेट वार्ड की अनुमन्यता अब इस प्रकार होगी कि रु0 6000/- से कम मूल वेतन पाने वाले राजकीय कर्मी जनरल वार्ड के हकदार होंगे। रु0 6000/- से अधिक वेतन पाने वाले कर्मी प्राइवेट वार्ड के लिए हकदार माने जायेंगे।

क्रमशः....5/

8) राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों, सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में अब पंजीकरण शुल्क रु0 5/- लिया जायेगा जो 15 दिन के लिए मान्य होगा। इसके अतिरिक्त जनरल वार्ड में उपचार कराने वाले रोगियों से रु0 25/- भर्ती शुल्क लिया जायेगा और भर्ती दिवस को सम्मिलित करते हुए प्रथम तीन दिनों के उपरान्त चौथे दिवस से 5 रुपये प्रति दिवस शैय्या शुल्क के रूप में अतिरिक्त लिया जायेगा।

9) पंजीकरण शुल्क विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण, सेवा / सुविधा के प्रयोग में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश राजकीय कोष में तथा 50 प्रतिशत अंश संबंधित मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों अथवा संस्थान में रोक लिया जायेगा। रोकी गई धनराशि का व्यय, रख-रखाव आदि कार्य हेतु इसके लिए गठित समिति के संकल्प के अनुसार पूर्व निर्धारित मदों में ही किया जायेगा। रोकी गई धनराशि सुविधा की दृष्टि से समिति के चालू खाते में जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा, में रखी जायेगी। स्थानीय समिति के गठन तथा धनराशि के उपयोग आदि की प्रक्रिया एवं मदों के निर्धारण करने के संबंध में अलग से मार्गदर्शक निर्देश निर्गत किया जायेगा।

10) प्राइवेट मेडिको लीगल शुल्क का 50 प्रतिशत अंश राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

11) रोगी वाहन का शुल्क रु0 5/- प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा जो न्यूनतम रु0 50/- लिया जायेगा।

12) संक्रामक रोगों विभाग में परीक्षण एवं उपचार के लिए बेड शुल्क जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों के लिए निर्धारित दरों के समतुल्य होगा।

13) चिकित्सा सेवाओं के लगातार बढ़ रही लागत पर होने वाले व्यय, औषधि, मूल्य वृद्धि, उपकरणों की दरों/रख-रखाव तथा इस पर भविष्य में होने वाली मूल्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित

क्रमशः...4/-

निबन्धन, चिकित्सीय परीक्षण, शल्यक्रिया दरें/शुल्कों में प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के प्रारम्भ से दस प्रतिशत की वृद्धि (न्यूनतम एक रुपये) की जायेगी और किसी चिकित्सीय परीक्षण यथा एक्सरे/अल्ट्रासाउन्ड आदि में प्रचलित बाजार दरों में औसत कमी आती है तो उक्त परीक्षण की दरों में यथा आवश्यक संशोधन शासनादेश के माध्यम से किया जायेगा।

(14) एलोपैथिक मेडिकल कालेजों उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं संस्थानों में जनरल वार्ड/प्राइवेट वार्ड के रोगियों से विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं/सुविधाओं हेतु लिये जाने वाले शुल्क का विवरण संलग्नकानुसार निम्नवत् है :-

<u>संलग्नक</u>-1 सामान्य शुल्क (पंजीकरण, भर्ती, शैय्या, आहार एवं रोगी वाहन)

<u>संलग्नक</u>-2 परीक्षण की दरें (पैथालोजिकल, रेडियोलोजिकल)

<u>संलग्नक</u>-3 आपरेशन (शल्य क्रिया, प्रोसीजर शुल्क)

(15) उपर्युक्त संशोधित/पुनरीक्षित दिशा निर्देश एवं दरें दिनांक 15-7-2000 से लागू/प्रभावी मानी जायेंगी।

(16) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-954/दस-2000 दिनांक 07-07-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक</u>:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के० चन्द्रमौलि)
सचिव।

<u>संख्या:- (1)/71-1-2000-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (आडिट प्रथम/लेखा) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2) प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, आगरा।

(3) समस्त मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के प्रभारी अधीक्षक ।

(4) निदेशक, [illegible] जे०के० कैंसर संस्थान कानपुर, जी०एस०वी०एम०मे०का०, मेडिकल एवं प्रधानाचार्य नर्सिंग कालेज, कानपुर ।

(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(6) [illegible] उत्तर प्रदेश शासन [illegible]

आज्ञा से,

[illegible]

अनु सचिव